

30.05.2019

आज पेश हुआ। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित होकर एम0वी0एक्ट में जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्त को उचित अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज